कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376–232077,
ई:मेल :
dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 171 /12–1 नई टिहरी, दिनांक– 21/07/ 2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
घनसाली, मुख्यालय–घुमेटीधार, टिहरी गढवाल।

विषयः– **जनपद–टिहरी के अन्तर्गत विकास खण्ड–भिलंगना में झाला कोटी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.784 है0 वन भूमि में एन0पी0वी0 की संशोधित दरो के अनुसार निर्धारण कर अतिरिक्त धनराशि की मांग सम्बन्धी। (online no.FP/UK/ROAD/11177/2015).**

सन्दर्भः– वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती कार्यालय पत्रांक–94/12–1, दिनांक–10–07–2023 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण , इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का कार्यालय पत्रांक–2612/1जी–5057(टि0सै0स्वी0 अनु0), दिनांक–16.05.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में अवगत कराना है कि ऐसे प्रकरण जिनमें सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत हुये 05 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है परन्तु वर्तमान समय तक विधिवत् स्वीकृति (Stage-II Approval) जारी नही हुयी है, ऐसे प्रकरणों में भारत सरकार के पत्रांक–05–03/2011–एफ0सी0(Vol-I), दिनांक–06–01–2022 द्वारा निर्गत नवीनतम दिशा–निर्देशो के अनुसार एन0पी0वी0 की संशोधित दरो के अनुसार निर्धारण कर अतिरिक्त धनराशि का मांग पत्र जारी कर प्रस्तावक विभाग से अतिरिक्त धनराशि वसूल करने के निर्देश प्राप्त हुये है।

अतः विषयगत मोटर मार्ग हेतु एन0पी0वी0 की संशोधित दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने हेतु संशोधित डिमाण्ड नोट निम्नानुसार हैः–

प्रस्ताव संख्या	इको–क्लास	क्षेत्रफल (है0 में)	Stage-I की तिथि	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किये गये एन0पी0वी0 धनराशि का विवरण			वर्तमान में निर्धारित नई दरों के अनुसार एन0पी0वी0 धनराशि का आंकलन			जमा किऐ जाने वाली अवशेष एन0पी0वी0 की धनराशि (रू0 में)
				औसत घनत्व	दर प्रति है0 (रू0 में)	धनराशि (रू0 में)	औसत घनत्व	दर प्रति है0 (रू0 में)	धनराशि (रू0 में)	
FP/UK/ROAD /11177/2015	**V**	**0.784**	**04.08.2017**	**0.3**	**657000.00**	**515088.00**	**0.3**	**1005210.00**	**788085.00**	**272997.00**

उपरोक्तानुसार जमा किये जाने वाली अवशेष एन0पी0वी0 की धनराशि **रू0 272997.00 (दो लाख बाहत्तर हजार नौ सौ सातनव्बे रू0 मात्र)** का (Challan Generate) कर ऑनलाईन नोडल अधिकारी कार्यालय में जमा करने के उपरान्त जमा धनराशि की चालान सहित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि परियोजना हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही समय से की जा सके। इसके अतिरिक्त शासनादेश में उल्लेखित सभी शर्तों की अनुपालन आंख्या भी ऑनलाईन / ऑफलाईन के माध्यम से इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।

पत्रांकः– 171 /12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।